न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 63/2023 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सरीफखान पुत्र दरियाखान 2. शोभाखान पुत्र दरियाखान जाति मुसलमान निवासी वली मोहम्मद की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. मुरादखान पुत्र सदीकखान जाति मुसलमान, निवासी जोरानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. मुबारक पुत्र अलादीनखान 4. अलीखान पुत्र वलीमोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी वली गोहम्मद की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. केदारमल पुत्र अमरचंद 6. लेखराज पुत्र अमरचंद जाति खत्री, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7. किरतार यू भाटी पुत्र उगमसिंह जाति राजपुत, निवासी ताणुमानजी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 :– श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 11.05.2026

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा वली मोहम्मद की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 325 रकबा 0.5747 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 454/436, 460/436, 437/425, 453/437, 461/436 रकबा क्रमशः 0.4856, 4.7753, 5.4956, 0.8094, 0.3237 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 325 से विभक्त खसरा नम्बर है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 3 के वालिद अलादीन तथा विप्रार्थी संख्या 4 की संयुक्त खातेदारी के थे, जिसका आपसी सहमति से विभाजन करने तथा तत्कालीन खातेदारान् द्वारा आगे आंशिक बैचान करने से पारित नामांतरकरणों से नवीन खसरा नम्बर कायम किये गये है। उक्त वादग्रस्त आराजी के सहमति विभाजन में जो विभाजन नक्शा प्रस्तुत किया गया, उसी विभाजन के नक्शा को तहसीलदार शिव द्वारा तस्दीक किया जाकर स्वीकार किया गया किन्तु राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा में अमलदरामद करने समय हल्का पटवारी द्वारा संलग्न नक्शे के विपरीत राजस्व रेकर्ड में तरमीम अंकित कर दी गई। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त एवं राजस्व रेकर्ड के नक्शा की तरमीम में एकरूपता नहीं है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त करते हुए आपसी सहमति विभाजन के संलग्न नक्शा अनुसार एवं मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता आवेदन का जवाब पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति एवं रेकर्ड के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतविरान के रूबरू जांच की गई। जांच करने पर पाया गया कि सहमति बंटवारा आदेश क्रमांक राज/2009/830 दिनांक 11.05.2009 की पालना में ग्राम हाथीसिंह का गांव के नाकस संख्या 129 की स्वीकृति दिनांक 17.06.2009 को पारित किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 129 दर्ज करते समय त्रूटिवंश खसरा नम्बर 325 के दो भाग खसरा नम्बर 325 रकबा 2.11 बीघा व 1.00 बीघा करने के वजाय एक ही भाग खसरा नम्बर 325 रकबा 2.11 बीघा दर्ज कर दिया गया। एक ही भाग करने के कारण खसरा नम्बर 325 का नया बट्टा खसरा नम्बर दर्ज नहीं हुआ। वर्तमान जमाबंदी में भी वादीगण के नाम खसरा नम्बर 325 रकबा 2.11 व 1.00 बीघा कुल रकबा 3.11 बीघा (0.5747 हैक्टेयर) दर्ज है। लट्ठा नक्शा में सहमति बंटवारा अनुसार खसरा नम्बर 325 में रकबा 1.00 बीघा तरमीम का अंकन किया हुआ है और प्रार्थीगण भी मौके पर इसी अनुसार काबिज है, लेकिन उक्त 1.00 बीघा तरमीम का खसरा नम्बर अंकन नहीं किया हुआ है तथा न ही वर्तमान जमाबंदी व भू–नक्शा में उक्त अंकन होना पाया गया है। प्रस्तावित शुद्धि रकबा 1.00 बीघा का नक्शा मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न है। जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा रेकर्ड से अलग पाया गया। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिसे उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् को पढकर सुनाई गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त में पूर्णतः एकरूपता होने से प्रार्थीगण तरमीम दुरस्ती करवाने के अधिकारी नहीं है। पूर्व तरमीम आपसी सहमति विभाजन से हुई है, जिसे प्रार्थीगण अपनी इच्छानुसार दुरस्ती करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त आवेदन तथ्यहीन, विधि विरूद्ध एवं सारहीन व झूठे तथ्यों पर आधारित पेश होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर आपसी सहमति विभाजन के संलग्न नक्शा अनुसार एवं पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें सहमति बंटवारा आदेश क्रमांक राज/2009/830 दिनांक 11.05.2009 की पालना में ग्राम हाथीसिंह का गांव के नाकस संख्या 129 की स्वीकृति दिनांक 17.06.2009 को पारित किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 129 दर्ज करते समय त्रूटिवंश खसरा नम्बर 325 के दो भाग खसरा नम्बर 325 रकबा 2.11 बीघा व 1.00 बीघा करने के बजाय एक ही भाग खसरा नम्बर 325 रकबा 2.11 बीघा दर्ज कर दिया गया। एक ही भाग करने के कारण खसरा नम्बर 325 का नया बट्टा खसरा नम्बर दर्ज नहीं हुआ। वर्तमान जमाबंदी में भी वादीगण के नाम खसरा नम्बर 325 रकबा 2.11 व 1.00 बीघा कुल रकबा 3.11 बीघा (0.5747 हैक्टेयर) दर्ज है। लट्ठा नक्शा में सहमति बंटवारा अनुसार खसरा नम्बर 325 में रकबा 1.00 बीघा तरमीम का अंकन किया हुआ है और प्रार्थीगण भी मौके पर इसी अनुसार काबिज है, लेकिन उक्त 1.00 बीघा तरमीम का खसरा नम्बर अंकन नहीं किया हुआ है तथा न ही वर्तमान जमाबंदी व भू–नक्शा में उक्त अंकन होना पाया गया है। प्रस्तावित शुद्धि रकबा 1.00 बीघा का नक्शा मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न है। जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

तरीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एवं सहमति विभाजन अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं कब्जा काश्त में एकरूपता होने का कथन किया गया है, जबकि तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहमति बंटवारा अनुसार ही प्रार्थीगण मौके पर काबिज है तथा रेकर्ड में तरमीम का अंकन नहीं किया हुआ होने से प्रार्थीगण तरमीम दुरस्ती करवाने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में सहमति बंटवारा अनुसार खसरा नम्बर 325 में रकबा 1.00 बीघा तरमीम का अंकन किया हुआ होने और प्रार्थीगण भी मौके पर इसी अनुसार काबिज होने पर भी उक्त 1.00 बीघा तरमीम का खसरा नम्बर अंकन नहीं किया हुआ होने तथा न ही वर्तमान जमाबंदी व भू–नक्शा में उक्त अंकन होने से उसे दुरस्त करने बाबत् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहांजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा वली मोहम्मद की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 325 रकबा 0.5747 हैक्टेयर एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 454/436, 460/436, 437/425, 453/437, 461/436 रकबा क्रमशः 0.4856, 4.7753, 5.4956, 0.8094, 0.3237 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रेकर्ड व तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम व रेकर्ड दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 11.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner